UPJB010027652024

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एस.सी/एस.टी) एक्ट, अमरोहा।

पीठासीन अधिकारी–संजय चौधरी(उच्चतर न्यायिक सेवा)
फौजदारी निगरानी सं०– 131/2024
रजुवा उर्फ राजाराम आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि

आदेश

दिनांकः-05.08.2025

निगरानी की पत्रावली आदेश के लिए प्रस्तुत हुई है। यह निगरानी न्यायालय अपर सिविल जज(जू0 डि0)/जे.एम. के द्वारा परिवाद सं0 48/2023 रामफूल बनाम रजुवा में पारित तलबी आदेश दिनांक 29.04.2024 के विरुद्ध दर्ज किये गये अभियुक्तगण रजुवा उर्फ राजाराम व अन्य कुल 6 अभियुक्तों की ओर से दायर की गयी है।

2. निगरानी याचिका पर बल देते हुए निगरानीकर्ता की ओर से कहा गया कि न्यायालय ने साक्ष्य का परीक्षण नहीं किया है और निगरानी न्यायालय के द्वारा पूर्व में निगरानी संख्या 243/2023 में पारित आदेश दिनांक 22.01.2024 का पालन करते हुए साक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की है, इसलिए प्रश्नगत आदेश त्रुटिपूर्ण है और निरस्त किये जाने योग्य है।

3. विपक्षी जो मूल परिवाद का परिवादी है, की ओर से यह कहा गया कि जांच के दौरान एकत्रित किये गये साक्ष्य के आधार पर प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। आदेश पूर्ण रूप से विधिसम्मत है, इसलिए निगरानी जो केवल विलम्ब कारित करने के लिए दायर की गयी है, खारिज किये जाने योग्य है।

4. अभिलेख पर उपलब्ध इस मामले के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि रामफूल नामक व्यक्ति ने न्यायालय ए.सी.जे.एम–द्वितीय में एक परिवाद जो संख्या 48/2023 पर पंजीकृत हुआ, दिनांक 31.01.2023 को यह घटना बताते हुए प्रस्तुत किया कि दिनांक 24.01.2023 को रात्रि लगभग 8 बजे विपक्षी रजुवा उर्फ राजाराम, रामवीर, विनोद, धर्मवीर, सौरभ एवं केशव प्रार्थी के घर में घुस आये, गन्दी गालियां दी और घर को गिराने के लिए आमादा हो गये। रोकने की कोशिश पर लात–घुसों से मारा–पीटा और घर के रास्ते में फाटक लगाकर रास्ता बन्द कर दिया तथा मकान को गिराना शुरू कर दिया। कमरे व वरामदे की छतें उखाड़ ली, जिनमें 80 कड़ियां साल की लगी हुई थी। इन कड़ियों को उखाड़कर ले गये। मलवा और ईंट भी अपने साथ ले गये, जिससे लगभग पांच लाख रुपये का नुकसान लगभग प्रार्थी को हुआ। थाने पर शिकायत की, कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक को रजिस्ट्री भेजी, तब भी कोई कार्यवाही नहीं हुई । इस परिवाद पर न्यायालय ने जांच प्रारम्भ की ओर परिवादी का बयान एवं परिवादी के पुत्र अजेन्द्र का बयान और एक अन्य व्यक्ति वीर सिंह का बयान लेने के बाद अभियुक्तगण को आदेश दिनांक 06.04.2023 से धारा 452, 323, 427 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत तलब किया। इस आदेश के विरुद्ध अभियुक्तगण ने निगरानी संख्या 243/2023 दाखिल की। निगरानी न्यायालय ने मामले का परीक्षण करते हुए आदेश की मद संख्या 11 से अपना निष्कर्ष देते हुए कहा कि प्रश्नगत आदेश यांत्रिक तरीके से पारित

Digitally signed by SANJAY CHAUDHARY
Date: 2025.08.05 19:13:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

किया है। नोन–स्पीकिंग आदेश है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा प्रथम दृष्टया संतुष्टि के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की है। यह निष्कर्ष व्यक्त करते हुए तलबी आदेश दिनांक 06.04.2023 को अपास्त कर दिया और पुनः सुनवाई उपरान्त आदेश पारित करने के लिए निर्देशित किया। निगरानी आदेश के पश्चात इस मामले की सुनवाई तृतीय अपर सिविल जज(जू0 डि0)/जे.एम. न्यायालय के समक्ष हुई सुनवाई उपरान्त न्यायालय ने अभियुक्तगण को धारा 427 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत पुनः तलब करने का आदेश दिनांक 29.04.2024 को पारित किया, जिसे इस निगरानी के माध्यम से प्रश्नगत किया गया है।

5. इस निगरानी के निस्तारण के लिए अभिलेख पर उपलब्ध निम्नलिखित तथ्य व परिस्थितियां विचारणीय है–

(1). मजिस्ट्रेट न्यायालय को यह निर्देशित किया गया था कि वह इस संतुष्टि के लिए कि विपक्षीगण तलब किये जाने योग्य है, पत्रावली पर जो साक्ष्य उपलब्ध है, उसकी विवेचना करे, परन्तु प्रश्नगत आदेश यह दर्शा रहा है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने उपलब्ध साक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की है, बल्कि परिवादी के बयान के कुछ अंशों को, गवाहों के बयानों के अंशों को लिखने के पश्चात दस्तावेजी साक्ष्य में क्या–क्या प्रस्तुत किया गया है, इसका उल्लेख करने के उपरान्त पूर्व में अपास्त तलबी आदेश की भांति ही संक्षेप में निष्कर्ष दे दिया है कि गवाहों ने परिवादपत्र का समर्थन किया है, इसलिए अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 427 भारतीय दण्ड संहिता का मामला प्रथम दृष्टया बनता है।

(2). विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में ये लिखा है कि परिवादी ने अपने बयान में विपक्षीगण पर घर में घुसकर मारपीट करके, गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने के बारे में कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया है, इसलिए धारा 323, 452, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रथम दृष्टया नहीं बनता है, जबकि इस आदेश में स्वयं परिवादी के बयान का उल्लेख पृष्ठ संख्या 1 पर करते हुए विद्वान मजिस्ट्रेट ने लिखा है कि " 25 तारीख की 08.00 बजे ये लोग घर से आए, घर की 80 कड़ी ले गये, घर तोड़ दिया, हंगामा किया। सारा सामान तोड़फोड़ कर दिया।" इस बयान में ही स्पष्ट साक्ष्य है कि विपक्षीगण रात्रि 8 बजे परिवादी के घर में घुसे और घर में घुसकर तोड़फोड़ की और उसके बाद 80 कड़ियों को लेकर चले गये। इन तथ्यों से धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रथम दृष्टया क्यों नहीं बन रहा है, इसके सम्बन्ध में कोई विचार न्यायालय ने व्यक्त नहीं किया है। घर में लगी हुई साल की लकड़ियों की 80 कड़ियों को तोड़कर और हंगामा व मारपीट करने के बाद अभियुक्तगण अपने साथ ले जाते हैं, गांव का कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है अर्थात् जबरन बलपूर्वक घर के सामान को गाड़ियों में लादकर ले जाते हैं तो लूट का अपराध क्यों नहीं बनता है और 6 अभियुक्त मिलकर लूट करते हैं तो यह डकैती में परिवर्तित क्यों नहीं होता है, इस पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया है।

(3). छः अभियुक्तगण घर में घुसकर मकान को तोड़ते हैं, साल की लकड़ियों की 80 कड़ियों को बाहर निकालते हैं और फिर उनको लादकर गाड़ी में रखकर अपने साथ ले जाते हैं, यह कार्यवाही कई घन्टे तक चलने वाली कार्यवाही है, परन्तु गांव का कोई भी व्यक्ति इस घटना के समर्थन में बयान देने नहीं आता है, न 112 पर कोई सूचना दी जाती है, न कोई विडियो मोबाइल फोन से बनायी जाती है, जोकि आम चलन में है। यह सब विचार करने योग्य परिस्थितियां थी, जिन पर कोई विचार नहीं किया गया है।

(4). समर्थन में प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों में से सी.डब्लू. 2 परिवादी का पुत्र है और सी.डब्लू. 1 एक वीर सिंह नाम का व्यक्ति है जो दूसरे गांव का है। यह दूसरे गांव का व्यक्ति अपनी बहन के घर आया हुआ था, उसने घटना देखी थी। इस संयोग साक्षी को बयान में

प्रस्तुत किया गया है। दूसरे गांव का व्यक्ति, जिसकी बहन घटना वाले गांव की है, बयान देने आ रहा है, परन्तु घटना वाले गांव का कोई व्यक्ति बयान देने नहीं आ रहा है, यह परिस्थिति विचार योग्य थी। यह विचार किया जाना चाहिए था कि साक्षी वीर सिंह स्वतंत्र साक्षी है या तैयार किया हुआ साक्षी है।

(5). वादी ने अपने बयान में कहा है कि उसने सिविल का मुकदमा कर रखा है और अभियुक्तगण ने घटना के दिन फाटक लगाकर रास्ता बन्द करने का प्रयास किया, सिविल का क्या मुकदमा दोनों पक्षों में चल रहा है, किस रास्ते को बन्द करने का प्रयास किया गया, इन सब बिन्दुओं पर कोई पूछताछ या कोई चर्चा नहीं की गयी है, जो यह समझने के लिए आवश्यक था कि यह परिवाद वास्तविक घटना पर आधारित है अथवा किसी सिविल वाद के मुकदमे में दबाव बनाने के लिए या कोई अनुचित लाभ पाने के लिए दायर किया गया है।

6. साक्ष्य की विवेचना का अर्थ यह नहीं है कि गवाहों के बयानों को आदेशपत्र पर लिख दिया जाए और उसके बाद यह कहते हुए तलबी आदेश पारित कर दिया जाए कि गवाहों ने परिवाद का समर्थन किया है, बल्कि साक्ष्य की विवेचना का अर्थ यह है कि जो घटना बतायी जा रही है और जिस प्रकार से बतायी जा रही है, क्या उस अनुक्रम में साक्षियों के द्वारा दिया जा रहा बयान विश्वसनीय है, क्या यह संभव है कि किसी के घर में घुसकर उसके पूरे मकान को तोड़ दिया जाए, छतों को तोड़कर साल की 80 कड़ियों को निकाल लिया जाए और मलवा और लकड़ी सबको गाड़ियों में लादकर ले जाया जाए और लगभग पूरी रात चलने वाली इस प्रक्रिया में गांव का कोई व्यक्ति कुछ भी न बोले या परिवारीजन पुलिस को भी तत्काल सूचना न दे। यदि घटनाक्रम को रोकना वश से बाहर है और गांव का कोई व्यक्ति सहायता नहीं कर रहा है तो कम–से–कम घन्टों तक चलने वाली इस कार्यवाही की कोई विडियोग्राफी या फोटोग्राफी मोबाइल से नहीं बनायी जाए, क्या यह संभव है कि 6 व्यक्ति मिलकर किसी को मारपीट करके उसके मकान को तोड़े व विरोध करे। विरोध पर फिर मारपीट हो, लेकिन न परिवादी के, न उसके पुत्र, न उसकी पत्नी किसी को कोई चोट न आये, कोई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है, न ही इसका कोई कारण पूछा गया है। इस सब बिन्दुओं को साक्ष्य से स्पष्ट करने का नाम साक्ष्य की विवेचना करना है जो इस मामले में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं की गयी है, इसलिए विद्वान मजिस्ट्रेट का आदेश निगरानी न्यायालय द्वारा पूर्व में दिये गये दिशा–निर्देशों के प्रतिकूल है। अतः हस्तक्षेप किये जाने योग्य है।

7. विद्वान मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा की जा रही है कि तलबी के सम्बन्ध में **माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्था अंशुमान सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य निर्णय दिनांक 01.02.2023 हामिद अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2020 ए.एच.सी 58667 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था पेप्सी फूड लिमिटेड बनाम स्पेशल जूडिशियल मजिस्ट्रेट 1998–5 एस.सी.सी 749 व अध्यतन व्यवस्था मैसर्स जे.एम लेबोरेट्री बनाम आंध्रप्रदेश राज्य निर्णय दिनांक 30.01.25** का अध्ययन करते हुए, जिनका मार्गदर्शन संक्षेप में यह है कि तलबी आदेश के द्वारा किसी व्यक्ति को अभियुक्त बनाना एक गंभीर कार्य है। इस कार्य को बहुत ही गंभीरता के साथ किया जाना चाहिए, केवल दो गवाहों को प्रस्तुत कर देना यह आधार उपलब्ध नहीं कराता है कि किसी व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में तलब कर लिया जाए, केवल इतना लिखना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि परिवादी ने और उसके दोनों गवाहों ने परिवादपत्र का समर्थन किया है, इसलिए व्यक्ति तलब किये जाने योग्य है। न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग दर्शाने के लिए साक्ष्य की संक्षेप में ही सही, परन्तु सारगर्भित विवेचना किया जाना आवश्यक है, जिससे ऐसा लगे कि एक विवेकवान व्यक्ति ने तथ्यों एवं परिस्थितियों को समझते हुए उचित कदम उठाया है।

8. उपरोक्तानुसार पुनः सुनवाई उपरान्त आदेश पारित करने के निर्देश के साथ प्रश्नगत आदेश दिनांक 29.04.2024 को अपास्त करते हुए यह फौजदारी निगरानी संख्या 131/2024 स्वीकार की जा रही है। विद्वान मजिस्ट्रेट पुनः मामले की सुनवाई करे। यदि आवश्यक हो साक्ष्य प्राप्त करके, उपलब्ध तथ्य और साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निष्कर्ष लेते हुए 2 माह के भीतर तलबी के विषय पर स्पष्ट आदेश कारणों का उल्लेख करते हुए पारित

करे। कार्यालय आदेश की प्रति और मूल अभिलेख अविलम्ब विद्वान मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

संजय चौधरी
Id. No:–UP6401
अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश
(एस.सी./एस.टी. एक्ट)
अमरोहा।